



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 3 जुलाई, 1976

आषाढ़ 12, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3144(2)/सत्रह वि-1--75-76

लखनऊ, 3 जुलाई, 1976

### अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 30 जून, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1976)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 को स्थायी बनाने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, 1955 की धारा 1 में, उपधारा (4) निकाल

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
21, 1955 की  
धारा 1 का संशोधन

जायगा।

जायगी।

No. 3144 (2) /XVII-V-1-75-76

Dated Lucknow, July 3, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhandar Adhigrahan (Sanshodhan) Adhinyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 26 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on June 30, 1976 :

**THE UTTAR PRADESH STORAGE REQUISITION (AMENDMENT) ACT, 1976**

[U. P. ACT NO. 26 OF 1976]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

**AN  
ACT**

*to make the Uttar Pradesh Storage Requisition Act, 1955, permanent*

It is HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. The Act may be called the Uttar Pradesh Storage Requisition (Amendment) Act, 1976.

Amendment of section 1 of U.P. Act No. XXI of 1955.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Storage Requisition Act, 1955, sub-section 4 shall be *omitted*.

प्रज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।